ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

बिहार चुनाव : इस बार घोषणा पत्र में प्रदूषण भी एक मुद्दा है

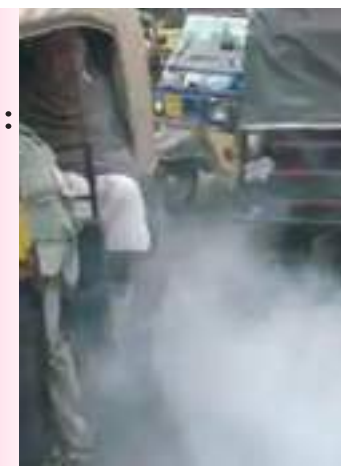

रविवारीय, 01 - 07 नवंबर 2020 वर्ष- दो, अंक-13, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख, सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

झारखंड सरकार राज्य में सब्जी उत्पादक किसानों को राहत देने को प्रयासरत, इस चुनावी वादे के धरातल पर उतरने से

किसानों को मिलेगा सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

वरीय संवददाता

झारखंड सरकार ने राज्य में सब्जियों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की पहल शुरू कर दी है। इसके लिये कृषि विभाग कमिटी बना कर अध्ययन करने जा रहा है। चुनाव से पहले किसानों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा भी किया गया था जो संभवतः सरकार अब पूरा करने जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिये यह राज्य सरकार की ओर से बहुत ही सकारात्मक पहल है।

झारखंड सरकार का ऐसे स्टोर भी खोलने का प्रस्ताव है जहां किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। ऐसे स्टोरों का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि जब किसानों को कहीं अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा हो तो राज्य सरकार इन स्टोरों में खरीद के माध्यम से एमएसपी मूल्य उपलब्ध करायेगी।

झारखंड सब्जी उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। लंबे समय से यहां के किसान अपने परिश्रम से प्रचुर मात्रा में सब्जियों की खेती करते रहे हैं और यहां से सब्जियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों को भी भेजी गयी हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दुखद पहलु भी जुड़ा हुआ है कि एक सब्जी उत्पादक राज्य होने के बाद भी यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अब राज्य सरकार के एमएसपी तय करने का प्रयास धरातल पर उतरता है तो निश्चय ही राज्य के सब्जी कृषकों के लिये यह बहुत बड़ी सौगात होगी।

अब तक राज्य में ऐसा भी होते आया है कि किसान खून पसीने से उपजायी गयी अपनी सब्जियों को मंडी में लागत भी न मिलने की स्थिति में वहीं छोड़ कर आ जाता था। उसे वापस ले जाने में ढुलाई का खर्च भी एक तरह से दंड था। ऐसे में राज्य सरकार का यह फैसला बहुत ही महत्वपुर्ण है।

अमल में आने में लग सकता है समय?

राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी कमिटी कइ तथ्यों की जांच करेगी। जैसे सब्जियों का ट्रेंड क्या रहा है,इन्हें उपजाने में औसत लागत क्या है ?किन किन उपजों को एमएसपी के दायरे में रखना है। उसके बाद ही भारत सरकार की एजेंसी सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागु करेगी। कमिटी अपने निष्कर्षों के बाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, आइसीएआर पलांडू एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के समन्वय के बाद इस पर मंथन किया जायेगा।

फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी हैं जरूरी

रघुवर दास सरकार ने बहुत ही तामझाम से रूक्का में फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का प्रयास किया था, पर अंततः यह प्लांट चालू नहीं हो सका। और करोड़ो की लागत के बाद भी यह प्लांट कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण बेकार हो गया। जिसे बाद में लीज पर देने या नीलाम करने की बातें भी हुयीं। अगर यह अकेला प्लांट भी चालू हो जाता तो किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने की नौबत नहीं आती। वर्तमान सरकार अगर इस दिशा में भी काम करे तो किसानों के लिये यह बहुत ही फायदेमंद होगा।

बिचौलियों के लिये कुख्यात है झारखंड

झारखंड इस बात के लिये कुख्यात रहा है कि यहां जो किसान सब्जी उगाता है उसकी हालत ज्यों कि त्यों रहती है पर जो एक दाना भी नहीं उगाता वह बिचौलिया यहां कमा कर अमीर हो जाता है। यहां के बिचौलिये खुद महंगी कारों से मंडी में आते हैं और मनमर्जी से सब्जी की कीमत तय कर किसानों से सब्जी का उठाव करते हैं। राज्य में सब्जी व्यापार में मौजूद बिचौलिये किसी माफिया से कम नहीं है। इन बिचौलियों की एकता और मनमानी के आगे सब्जी उगाने वाला किसान बिल्कुल ही नीरीह हो जाता है और उसे बिचौलियों के तय किये गये कीमत पर ही अपनी उपज बेचना पड़ता है।

झारखंड में वैसी सब्जियों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है जो अन्य राज्यों में सिर्फ अपने मौसम में ही पैदा होते हैं। इस कारण से यहां की सब्जियों की डिमांड सदैव रहती है जिन्हे देश के अन्य हिस्सों में भी भेजा जाता है। सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के तय कर देने के बाद संभवतः इन बिचौलियों की पकड़ कमजोर होगी।

सभी किसानों के लोन खातों को आधार से लिंक करें : कृषि मंत्री

रांची : कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्यस्तरीय कमिटी के पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक में निदेश दिये कि ऋणी कृषकों के डाटा के प्रारूप में एकरूपता लाने का निर्देश 5 दिनों के अंदर एनपीए खातों की डिटेल्स बैंक दें.

राज्य के कृषि मंत्री ने किसान ऋण माफी योजना को धरातल पर उतारने के लिये सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि जो भी ऋणी किसान हैं उनके लोन खातों को अभियान चलाकर आधार एवं माबाईल नम्बर से लिंक किया जाये । एक महीने के अंदर जिला एवं प्रखंड स्तर पर सभी किसानों के ऋणों के खातों का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसके लिये Special DLCC,BLBC बैठक आहूत करें । वह नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्यस्तरीय कमिटी की बैठक कर रहे थे। मंत्री ने बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नवंबर महीने के अंदर सभी जिला एवं प्रखंड स्तर के बैंकर्स कमिटी का बैठक कर अपसी समन्वय स्थापित कर बीएलओ के माध्यम से सभी ऋणी किसानों के बैंक खातों को आधार के साथ लिंक करने का कार्य सुनिश्चित करें तथा केवीईसी सुनिश्चित की जाये। उपायुक्त एवं विभागीय पदाधिकारी भी इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इस संदर्भ में उपायुक्तों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत करने का भी निदेश उनके द्वारा दिया गया।

मंत्री ने कहा कि किसानों का जो भी डाटा बैंकों के पास है, उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि राज्य के किसानों के लोन की सही स्थिति का आकलन किया जा सके सके। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी बैंक एसएलबीसी के साथ समन्वय स्थापित कर एक प्लेटफॉर्म तैयार करें साथ ही विभाग की ओर से भी आईटी विभाग के सहयोग से डाटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जायेगा और दोनों पोर्टल को इंटीग्रेट किया जायेगा। साथ ही कृषि मंत्री ने निदेश दिया कि सभी विभागीय पदाधिकारी विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से संपर्क कर अगले पांच दिनों के अंदर एनपीए का कैटोगरी वाईस स्टेटस प्राप्त करें।

गंगा उत्सव के अवसर पर 02अक्टूबर को रुक्का डैम में श्रमदान एवं वृक्षारोपण

रांचीः दिनांक 2/11/2020 को रुक्का डैम ओरमांझी में गंगा उत्सव (2 से 4 नवम्बर 2020) के अवसर पर जिला प्रशासन रांची के पदाधिकारियों, प्रखण्ड के पदाधिकारी,कर्मी द्वारा श्रमदान तथा वृक्षारोपण किया जाएगा।

इस अवसर नगर विकास के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उपायुक्त रांची छवि रंजन के नेतृत्व में यह कार्यक्रम दिनांक 2 नवंबर 2020 दिन सोमवार को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित है।

कार्यक्रम

जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा श्रमदान एवं वृक्षारोपण
अवसर- गंगा उत्सव
स्थान- रुक्का डैम , ओरमांझी
तिथि- 02/11/2020
समय - 8बजे - 10बजे तक

रोजगार

पूरी जानकारी लेकर ही बायो फ्लॉक में मछली पालन प्रारंभ करें

आशीष कुमार

आजकल मछली पालन की एक नई तकनीक जिसे बायो फ्लॉक तकनीक कहते हैं बहुत तेजी से फैल रहा है। यह एक नई तकनीक है जिसमें लोहे की जाली तथा प्लास्टिक के सीट के प्रयोग से 10000, 20000, 30,000 लीटर क्षमता का कृत्रिम तालाब बनाया जाता है और उसमें मछली पालन किया जाता है।

दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम इत्यादि में या बहुत ज्यादा प्रयोग में है। भारत में भी पिछले वर्ष से कई लोग बायो फ्लॉक का ताला बनाकर उसमें मछली पालन कर रहे हैं। क्योंकि इस तकनीक में तालाब की आवश्यकता नहीं होती है और खाली पड़े जमीन में आराम से 5-7 बायो फ्लॉक के टैंक अधिष्ठापन किए जा सकते हैं अतः इसका प्रसार काफी तेजी से हो रहा है। इस तकनीक में मुख्य बात यह है कि इसमें कम स्थान में अधिक मछलियां पाली जाती है तथा बैक्टीरिया के माध्यम से मछली के उत्सर्ग को भोजन में बदल दिया जाता है जिससे कृत्रिम भोजन की आवश्यकता कम हो जाती है। परंतु इसमें ऑक्सीजन का बहाव लगातार करना पड़ता है साथ ही लगभग प्रतिदिन अमोनिया की मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा, नाइट्राइट की मात्रा, पानी का पीएच, बायो फ्लॉक की मात्रा इत्यादि की जांच करते रहना पड़ता है अन्यथा यदि प्रतिकूल स्थिति हुआ तो सभी मछलियों के मरने की आशंका रहती है। साथ ही ऑक्सीजन के बहाव को बनाए रखने के लिए बिजली की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसलिए बिना पूरी जानकारी के इसे प्रारंभ करने से कई लोग बीच में ही हताश होकर छोड़ दे रहे हैं।

भारत सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में इसके लिए अनुदान की व्यवस्था भी की गई है परंतु मान्यता प्राप्त संस्थान से बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए बायो फ्लॉक तकनीक से मछली पालन करना हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। इसमें मछली के प्रजाति का चयन भी ध्यान देकर करना चाहिए। जहां एक और छोटी प्रजातियां जैसे कवई, मांगूर,सिंघी तिलापिया इत्यादि सफलता से पाली जा रहे हैं वहीं रोहू, कतला इत्यादि के पालन में उनके बड़े आकार के कारण कठिनाई हो रही है। इसलिए बायो फ्लॉक के लिए मछली के प्रजाति का चयन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः यदि किसान भाई उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए बायो फ्लॉक प्रारंभ करेंगे तो उन्हें निश्चित सफलता मिलेगी। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला के मत्स्य कार्यालय अथवा सीधे लेखक से संपर्क कर सकते हैं।

लेखक सेवानिवृत उपनिदेशक (मत्स्य विभाग) हैं

Ph. 9430783037

email:coomar2012@gmail.com

धान में भनभनिया बीमारी का आकलन कर किसानों को देंगे मुआवजा: कृषि मंत्री

धान में ब्राउन प्लांट हॉपर बीमारी को लेकर विभाग अलर्ट, कृषि मंत्री ने मांगी रिपोर्ट

रांचीः देवघर, गोड्डा और दुमका क्षेत्र में धान में ब्राउन प्लांट हॉपर नाम कीट के प्रकोप की खबरों को लेकर कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। इस संबंध में कृषि मंत्री श्री बादल ने विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि सभी किसान मित्रों एवं पंचायत स्तर के कृषि पदाधिकारियों से किसानों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करवायें और जिन किसानों को इस बीमारी से नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा दिया जाय। कृषि मंत्री बादल ने बताया कि ब्राउन प्लांट हॉपर नामक बीमारी जिसे ग्रामीण बोलचाल में भनभनिया नामक बीमारी कहा जाता है। इस संबंध में बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी है तथा आपदा प्रबंधन विभाग से भी संपर्क स्थापित करने का निदेश कृषि विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया है। जल्द ही भनभनिया बीमारी से पीड़ित किसानों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट मांगी गयी है। उन्होंने बताया कि विभागीय सचिव की ओर से सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा जा रहा है साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि किसानों के नुकसान का आकलन कर, अपना मंतव्य स्थानीय पदाधिकारी को दें ताकि किसानों को नुकसान की भरपाई की जा सके।

भनभनिया रोग पर विस्तृत जानकारी के लिये पेज 3 भी देखें

सीसीएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत ''स्टेक होल्डर्स मीट'' का आयोजन

रांची :सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस, रांची के कन्वेंशन सेंटर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के अंतर्गत ''स्टेक होल्डर्स मीट'' का आयोजन 30 अक्टूबर को किया गया। इस कार्यक्रम में सीसीएल कमाण्ड क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स और सीसीएल प्रबंधन के बीच सीधा संवाद हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि स्टेक होल्डर्स के समस्या के बारे में जानें।

सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, निदेशक (वित्त) एन. के. अग्रवाल, सीवीओ एस. के. सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, सभी क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स एवं अन्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कुल 186 स्टेक होल्डर्स के अलावा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अधिकारीगण भाग लिए।

इस कार्यक्रम में खनन, विधि एवं यांत्रिकी, सिविल एवं सामग्री प्रबंधन से जुड़े हुए सीसीएल के समस्त क्षेत्रों से स्टेक होल्डर्स ने हिस्सा लिया। इनकी शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया गया एवं कुछ नीतिगत समस्यायों जो मुख्यतः निविदा संबंधी थीं, उनके निष्पादन के लिए सक्षम स्तर तक उनकी बातें पहुंचाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकृति ने भारत को सलीके से संवारा है, देश में 16 प्रकार के वन पाये जाते हैं

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र

एसोशिएट प्रोफेसर
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान
(सम-विश्वविद्यालय)
मुंबई-400088

भारत में 16 बड़े वनों के प्रकार हैं। इन्हें 221 छोटे प्रकारों में विभाजित किया गया है। वनों का विभाजन, संरचना, आकृति और वृक्षों आदि किसी भी लक्षण के आधार पर किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय वनों के मुख्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पश्चिमी घाट, जो अरब सागर के तट से सटे हुए हैं, तथा असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

ऊष्णकटिबंधीय वर्षा वन काफी घने, गर्म तथा नम होते हैं। इनमें दो प्रकार के वन समाविष्ट हैं; उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं ऊष्णकटिबंधीय अर्द्धसदाबहार वन। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा हो और वर्ष भर धूप मिलती रहे।

उष्णकटिबंधीय अर्धसदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः लॉरेसी कुल के वृक्ष पाए जाते हैं जैसे लिट्सी की प्रजातियाँ। दक्षिण-पश्चिमी घाट तथा पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके एवं उत्तरपूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में ऊष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनमें आबनूस तथा महोगनी जैसे व्यावसायिक रूप से उपयोगी पेड़ पाए जाते हैं। अर्धसदाबहार वर्षा वन, सदाबहार वनों की तुलना में अधिक व्यापक हैं। पश्चिमी घाट के मॉनसून वन पश्चिमी तटीय क्षेत्र तथा कम वर्षा वाले पूर्वी घाट तक भी फैले हैं। इन वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ शीशम (डलबर्जिया लैटिफोलिया) विजयासर या मालाबार किनो (टैरोकार्पस मार्सुपियम), सागौन (टर्मिनैलिया क्रेनुलैटा) आदि। लेकिन आज कई इलाकों में इनकी संख्या कम हो गई है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ज्यादा प्रजातियाँ पायी जाती हैं।

उत्तरपूर्वी भारत की शीतोष्ण वनस्पतियाँ 900 मीटर से भी अधिक उँचाई पर पायी जाती हैं। इन इलाकों में असम, नागालैण्ड, मणिपुर, मिज़ोरम,

मेघालय, त्रिपुरा और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ सदाबहार एवं अर्धसदाबहार वर्षा वन तथा नम पर्णपाती वन, दलदल तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन असम घाटी, पूर्वी हिमालय की तलहटी तथा नागा पहाड़ियों के निचले हिस्से, मेघालय, मिज़ोरम और मणिपुर जहाँ वर्षा 230 सेन्टीमीटर सालाना से भी अधिक होती है। असम घाटी में विशाल डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस और शोरिया एसैमिका के वन पाए में पाए जाते हैं। मॉनसूनी वनों में मुख्यतः साल के वृक्षों की अधिकता है जो यहां अधिक पाए जाते हैं।

शीतोष्ण वन

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में भी शीतोष्ण सदाबहार वर्षा वन, शीतोष्ण अर्धसदाबहार वर्षा वन और शीतोष्ण नम मॉनसूनी वन पाए जाते हैं। ऊष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नम तथा शुष्क दोनों प्रकार के पर्णपाती वन होते हैं। ये गर्मियों में छह से आठ हफ़्तों तक के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इसी कारण इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। इस तरह के अधिकतर वन केरल में पाए जाते हैं। केरल के अलावा ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरपूर्वी हिस्से तथा हिमालय की घाटी में पाए जाते हैं। हमारे देश की वन सम्पदा काफी समृद्ध है। विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारण यहाँ लगभग हर किस्म के पेड़-पौधे पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह वन दो प्रकार के होते हैं। नम तथा शुष्क। जिनमें से नम पर्णपाती वन सबसे अधिक पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये छोटा नागपुर के पठारी हिस्सों में भी पाए जाते हैं और मध्यप्रदेश, दक्षिणी बिहार तथा पश्चिमी उड़ीसा के क्षेत्र, तथा शिवालिक की पहाड़ियों में फैले हुए हैं। इन वनों में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों में टीक, साल और चन्दन हैं। सागौन इन वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसके अलावा साल शुष्क पर्णपाती वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष है।

हिमालय के वन

हिमालय के ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वन खूब फैले हुए हैं। इनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। ये हिमपात के समय पेड़ों के संतुलित रहने में सहायक होती हैं। उत्तर-पश्चिमी हिमालय में कश्मीर को छोड़कर ये वन लगभग हर क्षेत्र में मिलते हैं। इन वनों में मुख्यतः चीड़ और देवदार, चिलगोज़ा, ओक, मैपल, ऐश आदि महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं।

पूर्वी हिमालय के चौड़ी पत्ती वाले वन

पूर्वी हिमालय के चौड़ी पत्तियों वाले वन भारत में 2000 से 3000 मीटर की ऊँचाई पर मध्य नेपाल से लेकर पूरब में भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड तक फैले हुए हैं। इन इलाकों में साल के दौरान खूब बरसात होती है। यहां की वर्षा का सालाना औसत करीब 200 सेन्टीमीटर है। यह भारत के राष्ट्रीय औसत के करीब दुगुना है। इस प्रकार वर्षा, स्थलाकृति तथा तापमान के सम्मिलित प्रभाव से यहाँ पर जैवविविधता का प्रचुर भण्डार पाया जाता है। इसी कारण यहाँ पर ओक के पेड़ तथा अन्य महत्वपूर्ण पेड़, जैसे एसर कैम्पबेलाई, बेटुला ऐल्नॉइडेस जैसे दुर्लभ पेड़ पाए जाते हैं। यह जगह आज जैवविविधता के हॉटस्पॉट के रूप में जानी जाती है। यहाँ की कुछ प्रजातियाँ सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलती हैं, जैसे रोडोडेन्ड्रॉन तथा ओक वृक्ष। यहाँ प्राणियों में करीब 125 स्तनधारी जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं इनमें उड़नेवाली गिलहरियां यहां के चौड़े पत्तों वाले वनों में रहती हैं। ये लुप्तप्राय श्रेणी में गिनी जाती हैं। इस तरह की प्रजातियों को एन्डेमिक स्पिशीज़ कहा जाता है।। इसके अलावा यहाँ बाघ, लाल पांडा, असमी मैकैक, जंगली कुत्ते, क्लाउडेड लैपर्ड जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानवरों के अलावा यहां चिड़ियों की विविध किस्में पायी जाती हैं। इन इलाकों में पक्षियों की करीब 500 प्रजातियां पायी जाती हैं।

शेष अगले अंक में

रवैया बदलें तभी महामारियों से बचना संभव

संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिये वैश्विक रवैये में अगर आमूल-चूल बदलाव नहीं किये गये तो भविष्य में महामारियां जल्दी-जल्दी उभरेंगी। साथ ही वे ज्यादा तेजी से फैलेंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी और कोविड-19 के मुकाबले ज्यादा तादाद में लोगों को मारेंगी। ऐसा दावा है दुनिया के 22 शीर्ष विशेषज्ञों का जिन्होंने जैव-विविधता और महामारियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर यह चेतावनी दी है।

इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफार्म और बायोडायवर्सिटी एण्ड इकोसिस्टम सर्विसेज (आईपीबीईएस) द्वारा कुदरत में आ रही खराबियों और महामारियों के बढ़ते खतरों के बीच सम्बन्धों पर चर्चा के लिये आयोजित एक आपात वर्चुअल वर्कशॉप में विशेषज्ञ इस बात पर सहमत दिखे कि महामारियों के युग से बचा जा सकता है, बशर्ते महामारियों के प्रति अपने रवैये में बुनियादी बदलाव लाकर प्रतिक्रिया के बजाय रोकथाम पर ध्यान दिया जाए।

जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वर्ष 1918 में फैली ग्रेट इंफ्लूएंजा महामारी के बाद से अब तक आयी कम से कम छठी वैश्विक महामारी है। हालांकि इसकी शुरुआत जानवरों द्वारा लाये गये माइक्रोब्स से हुई, मगर अन्य सभी महामारियों की तरह यह भी पूरे तरीके से इंसान की नुकसानदेह गतिविधियों की वजह से फैली। ऐसा अनुमान है कि स्तनधारियों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों में इस वक्त 17 लाख 'अनखोजे' वायरस मौजूद हैं। उनमें से लगभग 85 हजार ऐसे हैं जो इंसान को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं।

इकोहेल्थ अलायंस के अध्यक्ष और आईपीडीएस वर्कशॉप के चेयरमैन डॉक्टर पीटर डेजाक ने कहा ''कोविड-19 या किसी भी आधुनिक महामारी के कारण को लेकर कोई बड़ा रहस्य नहीं है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को हो रहे नुकसान व इंसानी गतिविधियां ही हमारे पर्यावरण पर उनके पड़ने वाले प्रभावों के कारण महामारियों के खतरे को पैदा करती हैं। जमीन के उपयोग में बदलाव, खेती का विस्तार और सघनीकरण, गैरसतत कारोबार, प्रकृति को तबाह करने वाला उत्पादन और उपभोग तथा वन्यजीवों, मवेशियों, रोगाणुओं और लोगों के बीच बढ़ते सम्पर्क ऐसी चीजें हैं जो महामारियों को बुलावा देती हैं।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के कार्यक्रम निदेशक डॉ. सेजल वोरह ने कहा, "मानव कल्याण प्रकृति के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। हम वर्तमान दर पर जैव विविधता खोना जारी नहीं रख सकते हैं। भविष्य के महामारी के जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर नीतियों और प्रथाओं को बदलने में अभी भी देर नहीं हुई है। मेटास्ट्रिंग फाउंडेशन के रवि चेलम ने कहा, "रिपोर्ट स्पष्ट रूप से पर्यावरण पर मानव प्रभावों को मूल कारण के रूप में स्थापित करती है। यह भी स्पष्ट है कि हम महामारी के युग में हैं और कोई भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है। महामारी की आर्थिक लागत उन्हें रोकने के लिए होने वाले खर्च से कहीं अधिक है। अब आर्थिक सुधारों को पूरी तरह से एक नयी नज़र से देखना होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमारियां पैदा होने के बाद सिर्फ उनके इलाज के कदम उठाने या प्रौद्योगिकीय समाधान पर ही निर्भर रहना, खासतौर से नई वैक्सीन और चिकित्सीय इलाज तैयार करना और उनका वितरण करना, दरअसल एक 'धीमी और अनिश्चिततापूर्ण' कवायद है। इसमें इंसान द्वारा बड़े पैमाने पर सहन की जाने वाली तकलीफें और इन बीमारियों के इलाज पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को होने वाले सैकड़ों अरब डॉलर के सालाना आर्थिक नुकसान को कमतर बना दिया जाता है।

रिपोर्ट में लगाए गए एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जुलाई 2020 तक कोविड-19 महामारी के कारण 8 से 16 विशेषज्ञों का अनुमान है कि महामारियों का खतरा कम करने पर होने वाला खर्च, ऐसी महामारियों के इलाज पर खर्च होने वाली धनराशि के मुकाबले 100 गुना कम हो सकती है। **द्वारा :क्लाइमेट कहानी**

महामारी के खतरे को कम करने और उससे निपटने में मदद मिलेगी। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं

- महामारी की रोकथाम के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी परिषद गठित की जाए, जो नीतियां बनाने वालों को उभरती हुई बीमारियों के बारे में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान और प्रमाण उपलब्ध कराए, अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में पूर्वानुमान लगाए, संभावित बीमारियों के आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करे और शोध में व्याप्त खामियों को रेखांकित करे। ऐसी काउंसिल एक वैश्विक मॉनिटरिंग कार्य योजना का डिजाइन तैयार करने में भी मदद कर सकती हैं।
- विभिन्न देश एक अंतरराष्ट्रीय समझौते या सहमति के दायरे में रहते हुए परस्पर रजामंदी से लक्ष्य तय करें, जिनमें लोगों, जानवरों और पर्यावरण के स्पष्ट फायदे हों।
- महामारी को लेकर तैयारी करने, महामारी की रोकथाम के लिए बेहतर कार्यक्रम बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में महामारी विस्फोट को नियंत्रित करने तथा उसकी पड़ताल करने के लिए सरकारों में 'वन हेल्थ' को संस्थागत रूप दिया जाए।
- विकास तथा भू-उपयोग संबंधी बड़ी परियोजनाओं में महामारी और उभरती हुई बीमारियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन को विकसित करके उसे जोड़ा जाए। वहीं भू-उपयोग के लिए वित्तीय सहायता में सुधार किया जाए ताकि जैव विविधता से जुड़े फायदों और जोखिमों की पहचान हो और उन्हें स्पष्ट रूप से लक्ष्य बनाया जाए।
- महामारियों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को उपभोग, उत्पादन, सरकारी नीतियों और बजट में एक कारक के तौर पर शामिल करना सुनिश्चित किया जाए।
- महामारियों को बढ़ावा देने वाली उपभोग की किस्मों, वैश्वीकृत कृषि विस्तार और कारोबार को कम करने वाले बदलाव को जमीन पर उतारा जाए। इन बदलावों में मांस के उपभोग, पशुधन उत्पादन तथा महामारी के खतरे को बहुत बढ़ाने वाली तमाम गतिविधियों पर कर या लेवी लगाना शामिल है।
- नई अंतर सरकारी स्वास्थ्य एवं व्यापार साझीदारी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव कारोबार में प्राणिजन्य रोगों के खतरे को कम किया जाए। वन्यजीवों के कारोबार में बीमारी के ज्यादा खतरे वाले जीवों की हिस्सेदारी को कम या बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। साथ ही वन्यजीवों के अवैध कारोबार के तमाम पहलुओं पर कानून का शिकंजा और कसा जाए तथा वन्यजीवों के कारोबार में सेहत से जुड़े खतरों के बारे में बीमारी के हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जानकारी और बढ़ायी जाए।
- महामारी नियंत्रण कार्यक्रम, बेहतर खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने और वन्यजीवों का उपयोग कम करने में स्थानीय लोगों तथा समुदाय की सहभागिता और जानकारी का मोल समझा जाए।
- जोखिम वाले प्रमुख बर्ताव तथा अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी में व्याप्त खामियों को दूर किया जाए। बीमारियों के जोखिम में अवैध और गैरनियमित तथा वैध और नियमित वन्यजीव कारोबार के तुलनात्मक महत्व को जाहिर किया जाए और पारिस्थितिकीय अपघटन और उसकी बहाली, लैंडस्केप के ढांचे और बीमारी पैदा होने के खतरे के बीच संबंधों को लेकर बनी समझ में सुधार किया जाए।

हाथियों के साथ टकराव

झारखंड में धान कटने एवं घर में एकत्र करने के मौसम में हाथियों के साथ मनुष्यों के टकराव की घटनायें बढ जाती हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अक्सर हाथी गांवों में घुस कर मकान ध्वस्त कर देते हैं, घर में रखे अनाज खा जाते हैं और कई बार तो जो पकड़ में आ गया उसे पटक कर मार भी डालते हैं। इस खबर को लिखते समय ही ये खबर आयी कि चतरा जिले के लावालौंग में हाथियो के एक झूंड ने कई एकड़ की फसल को बर्बाद कर दिया और एक व्यक्ति को पटक कर मार भी डाला। ये खबरे आम लोगों को आहत तो करती हैं, पर हमें ये भी देखने होगा कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है तो क्या वह इन विशालकाय पशुओं के क्षेत्र में अतिक्रमण भी करते रहेगा? केरल में एक हथिनी की फल में बम खिला कर हत्या ऐसा की जघन्य कृत्य था जिसपर देशव्यापी बहस छिड़ गया था।

पहले वनों की अधिकता थी और जानवरों की जरूरतें इन वनों में ही पूरी हो जाती थीं। तब जंगली जानवर और मनुष्य अपने दायरे में थे, एक दूसरे से टकराव की आशंका न के बराबर होती थी। आज कई गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल वनों के बीच हैं और यहां मनुष्यों एवं जंगली जानवरों के बीच टकराव होना लाजमी है।

कई नदियों, तालाबों, जंगलों और प्राकृतिक जलस्त्रोंतो पर अतिक्रमण कर वहां निर्माण कर लिया गया है जो कभी हाथियों से लेकर अन्य जंगली जानवरों के लिये जल स्त्रोत का माध्यम थे। अब इन जानवरों के भ्रमण का पारंपरिक कॉरिडोर मनुष्यों के अतिक्रमण के कारण खत्म हो चला है यही कारण है कि जानवरों के साथ ग्रामीणों का टकराव बढते जा रहा है। हाथियों के ऐसे बर्ताव पर इन जंगली जीवों को खतरनाक कहना आसान है, पर यह भी सोचना होगा कि वे ऐसा क्यों करते हैं?

झारखंड के पीरटांड इलाके में एक अकेला हाथी कई दिनों से खेतों और मकानों को ध्वस्त कर रहा था। वह बीच बीच में चिघाड़ भी रहा था। लोग डरे हुये थे। ग्रामीणों ने एकत्र होकर उसे खदेड़ना शुरु किया तो वह भागते हुये अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गयी।

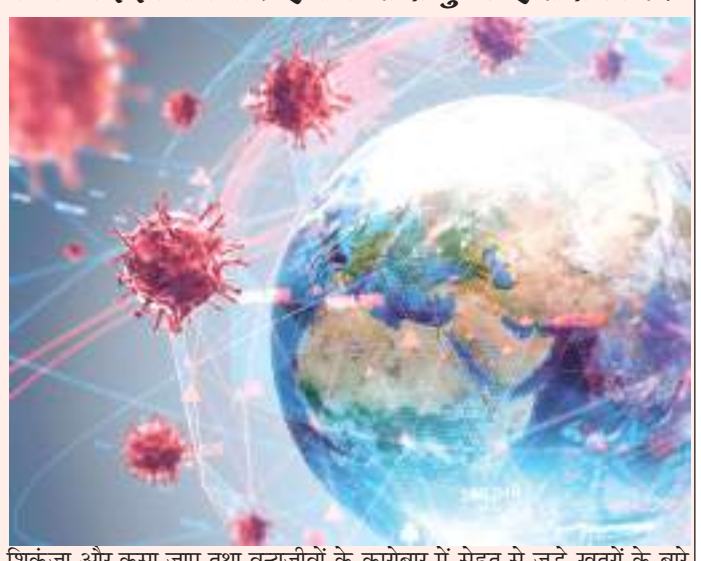

ग्रामीणों का कहना है कि यह हाथी कई दिनों से इस इलाके में था और वन विभाग को सूचना देने पर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मृत हाथी को देखने पर पता चला कि उसके सूंड में एक फंदा फसा हुआ था और वह घायल था। वन विभाग की टीम अगर समय पर पहुंच कर कार्रवाई करती तो न तो उस हाथी की जान जाती न ही फसलों और घरों का इतना नुकसान होता। ऐसी लापरवाही पहली बार नहीं हुयी है। हाथियों के उत्पात और विध्वंस की खबरें हमेंशा प्रकाशित होती हैं, पर इसका कारण क्या है और कैसे इसका निवारण हो? इस पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आखिर मनुष्यों ने भी तो उनके इलाके का भयंकर अतिक्रमण किया है।

इतिहास का सबसे गर्म वर्ष बन सकता है 2020

डब्ल्यूएमओ के अनुसार 2020 में ला नीना की मध्यम से मजबूत स्थिति बनने के आसार हैं। इसके बावजूद वह इतिहास का सबसे गर्म साल बन सकता है। विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने हाल ही में ला नीना के बारे में नई जानकारी साझा की है। जिसके अनुसार 2020 में इस घटनाक्रम के मध्यम से मजबूत रहने की सम्भावना है। डब्ल्यूएमओ के क्लाइमेट डिपार्टमेंट से जुड़े मैक्स डिले ने बताया कि ला नीना में तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। इसके बावजूद अनुमान है कि 2020 इतिहास का सबसे गर्म साल होगा। जबकि 2016 से 2020 के बीच की पांच सालों की अवधि के रिकॉर्ड गर्म रहने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि इससे पहले आखिरी बार मजबूत ला नीना की घटना 2010-2011 में घटी थी, जबकि 2011-2012 में यह मध्यम स्तर का रिकॉर्ड किया गया था। इस घटना के चलते दुनिया के कई हिस्सों में तापमान, वर्षा और तूफान के पैटर्न पर असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ला नीना की यह स्थिति जनवरी 2021 तक बनी रहेगी।

क्या होता है 'ला नीना? ला नीना जिसे स्पेनिश भाषा में 'छोटी बच्ची' भी कहते हैं, चूंकि इसका प्रभाव एल नीनो के विपरीत होता है इसलिए इसे प्रति एल नीनो भी कहा जाता है। यह मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में घटने वाली घटना है जो बड़े पैमाने पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। जहां एल नीनो के चलते समुद्र का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और उसके चलते गर्म हवाएं चलती हैं। जबकि इसके विपरीत ला नीना के चलते पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। जिस वजह से सर्द हवाएं चलती हैं और वैश्विक तापमान में कमी आ जाती है।

भारत पर क्या पड़ेगा इसका असर

भारत के लिए ला नीना का मतलब है, सामान्य से ज्यादा बारिश होना। यहां तक की इसके चलते बाढ़ भी आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस साल सर्दी के मौसम में ला नीना का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते सामान्य से ज्यादा ठंड रहेगी। अनुमान है कि इस साल शीत लहर भी चलेगी, जिसके पीछे भी ला नीना के असर को जिम्मेवार माना जा रहा है। चक्रवातों की तीव्रता कम हो सकती है। मध्य एशिया में औसत से कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी अफ्रीका में भी सामान्य से ज्यादा सूखा पड़ेगा। जिसका चलते वहां खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है। जबकि दक्षिण अफ्रीका में इसके चलते सामान्य से ज्यादा बारिश होगी।

अब एयर क्वालिटी मोनिटरिंग प्रोग्राम का डैशबोर्ड

दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर संकट के स्तर पर पहुंच चुका है और बीते सालों की तरह इस साल भी यह जनता और नीति निर्माताओं के चिंता का विषय बन चुका है। और यह स्थिति भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की प्रगति पर सवाल खड़ी करती है। इसी क्रम में कार्बन कॉपी और रेस्पायरर लिविंग साइंसेज़ ने एक नया डैशबोर्ड तैयार किया है जो 2016 के बाद से NCAP के तहत सूचीबद्ध सभी 122 नॉन-अटेंन्मेंट शहरों के लिए PM2.5 और PM10 की तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह डैशबोर्ड भारत के नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडड्र्स की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है जो की खुद नेशनल एयर क्वालिटी मोनिटरिंग प्रोग्राम (NAMP) के अंतर्गत है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को एनसीएपी को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य 2024 तक 122 गैर-प्राप्ति शहरों में 20-30% पीएम स्तर को कम करना है, 2017 को आधार वर्ष के रूप में स्तर लेना। ये वे शहर थे जो 2011-2015 की अवधि के लिए मानकों को पूरा करने में विफल रहे। कार्बनकॉपी का एनएएमपी डैशबोर्ड 2016 से 2018 तक सभी 122 शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर के लिए तीन साल की रोलिंग औसत प्रवृत्ति स्थापित करता है।

एनएएमपी निगरानी कार्यक्रम 1984 से चल रहा है (जिसे पहले राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता नेटवर्क कहा जाता है) भारत में 344 शहरों या कस्बों को कवर करते हुए 793 NAAQS स्टेशनों का नेटवर्क है। 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। एनएएमपी के तहत, चार प्रदूषकों - सल्फर डाइऑक्साइड (So2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (No2), सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (SPM), और रेस्पिरेब्ल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (RSPM) को नियमित निगरानी के लिए प्रमुख प्रदूषकों के रूप में पहचाना गया है। निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), नागपुर और प्रदूषण नियंत्रण समितियों, सीपीसीबी और अब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

रेस्पायरर लिविंग साइंसेज़ के रोनक सुतारिया ने कहा, ''डेटा का विश्लेषण करते समय, प्रत्येक शहर में उपलब्ध मॉनिटरों की संख्या, निगरानी क्षमता में वृद्धि या कमी और प्रति वर्ष मॉनिटर पर उपलब्ध रीडिंग की संख्या को देखना महत्वपूर्ण है। डैशबोर्ड से स्पष्ट पता चलता है कि किन शहरों में कितने मॉनिटर थे, उनका अपटाइम क्या था और उस डेटा में क्या विश्वास है। इस डेटा में उतार-चढ़ाव और असंगति किसी विशेष शहर के लिए पीएम के रुझानों को बेहद प्रभावित करेगी और सही स्थिति को प्रकट करेगी। उदाहरण के लिए, यह समझने के लिए कि क्या कोई शहर बेहतर प्रदर्शन करता है या डैशबोर्ड पर देखे गए स्वीकार्य मानकों का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त डेटा है या नहीं, यह समझने के लिए निगरानी की संरचना में देखना महत्वपूर्ण है।''

- **NCAP (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम)** में non-attainment cities **(वो सभी शहर जिनका प्रदूषण मानक मूल्यों से ज़्यादा है) में सूचीबद्ध 23 राज्यों में से केवल 3 राज्य - हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब ही 3 वर्षों की पीएम 10 की निगरानी की औसत रीडिंग से ऊपर रहे हैं, इस बीच पश्चिम बंगाल और असम मार्जिन पर रहे। झारखंड इस सूची में सबसे नीचे 64औसत रीडिंग प्रति मॉनिटर रहा, 3 मॉनिटर इस राज्य की रीडिंग के लिए जिम्मेदार है।**
- **दिल्ली को 3 साल की औसत रीडिंग के आधार पर दर्ज किये गए पीएम 10 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे अधिक प्रदूषित राज्य का दर्जा हासिल हुआ है, इसके बाद झारखंड राज्य है जिसका मॉनिटरिंग डाटा ठीक से हासिल नहीं हो सका और उत्तर प्रदेश इस पायदान पर तीसरे नंबर पर रहा है।**
- **केवल 15 राज्यों के** PM 2.5 **के** NAMP **(नेटवर्क मैपर) मॉनिटरिंग सिस्टम किसी भी वर्ष के लिए उपलब्ध है।**

हाल की मीडिया रिपोर्टों में गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे एनसीआर शहरों में सीओवीआईडी से बरामद मरीजों में श्वसन संबंधी जटिलताओं के उभरने पर प्रकाश डाला गया। जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि COVID के बरामद रोगियों पर वायु प्रदूषण के भार का विश्लेषण करना जल्द ही संभव है, इस बात पर आम सहमति है कि भारत में वायु प्रदूषण को एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक के रूप में लेने के लिए स्वास्थ्य डेटा को बेहतर ढंग से पकड़ने की आवश्यकता है।

निशांत सक्सेना द्वारा प्रेषित

हिमालय में आ सकता है बड़ा भूकंप

वैज्ञानिकों ने हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में ऐसे जोन की पहचान की है जो टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है इस क्षेत्र में भारतीय और एशियाई प्लेट्स आपस में मिलती है जिनके बारे में अब तक यही माना जाता था कि इस जोन में मौजूद थ्रस्ट बंद है, लेकिन नए शोध से पता चला है कि इस क्षेत्र में प्लेट्स सक्रिय हैं जिनमें भूकंप आ सकता है यह जानकारी भूकंप के अध्ययन और उसकी भविष्यवाणी, पर्वतीय श्रृंखलाओं की भूकंपीय संरचना को समझने और उसके विकास को जानने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है

यह शोध देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जोकि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जर्नल टेक्नोफ़्ज़िक्स में छपे इस शोध में इस इलाके का विस्तृत मानचित्रण किया गया है जिसकी मदद से इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन के लिए लद्दाख के सुदूर क्षेत्रों की मैपिंग की गई है, जो हिमालय का सबसे भीतरी भाग है। जिसमें स्पष्ट हो गया है कि हिमालय का सिवनी क्षेत्र जिसके बारे में यह मान्यता थी कि वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन शोध के अनुसार यह टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है भूवैज्ञानिकों के अनुसार तलछट से बने नदी तट झुके हुए थे और कई जगह से दरार दबाव के कारण टूट गई थी नदियों का ऊपरी हिस्सा उठ गया थो वहीं उसके निचले हिस्से की चट्टानों में बदलाव आ गया था और वो काफी कमजोर हो गई थी।

सिंचाई की वजह से भारत में बढ़ रहा है हीट स्ट्रेस

बढ़ता हीट स्ट्रेस भारत सहित पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में करीब 4.6 करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकता है।

खेतों में की गई सिंचाई किसी इंसान के लिए हानिकारक हो सकती है, बात अटपटी है पर सही है। हाल ही में आईआईटी गांधी नगर द्वारा किए एक अध्ययन के अनुसार भारत के कुछ हिस्सों में सिंचाई बढ़ने के साथ वहां रहने वाले लोगों मेंगर्मी से होने वाला तनाव में वृद्धि देखी गई है। यह शोध आईआईटी, के साथ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी और हेल्महोल्त्ज़ सेंटर फ़ॉर एन्वायर्नमेंटल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने मिलकर किया है। यह शोध अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुआ है। शोध से पता चला है कि भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के में फसल में वृद्धि के लिए गहन रूप से सिंचाई की जा रही है। जिसके कारण नमी युक्त हीट स्ट्रेस का खतरा बढ़ गया है। अनुमान है कि हीट स्ट्रेस दक्षिण एशिया में 4.6 करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकता है।

1.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का समुद्र में रिसाव का खतरा

पर्यावरणीय आपदा के मुहाने पर दुनिया

एजेंसियां

एक ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक़ वेनेजुएला और त्रिनिदाद के बीच, पारिया की खाड़ी में, एक ख़राब और लगभग डूबते तेल टैंकर से 1.3 मिलियन बैरल के करीब कच्चे तेल के समुद्र में गिरने का ख़तरा बन गया है।

अगर इस मात्रा में कच्चा तेल समुद्र में गिरता है तो यह मात्रा 1989 के बहुचर्चित एक्सॉन वाल्डेज़ स्पिल के लगभग पांच गुना के बराबर है। टैंकर पेट्रोसुक्रे नामक कंपनी के स्वामित्व में है, जिसका मालिकाना हक वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोलिओस डी वेनेजुएला (PDVSA) के पास है, जिसकी 74% हिस्सेदारी है, और इटली की ईनी बाकी 25% की मालिक है। त्रिनिदाद और टोबैगो की एनजीओ फिशरमेन ऐंड फ्रेंड्स ऑफ द सी पिछले कुछ महीनों से इस स्थिति की निंदा करते हुए इस स्थिति के निपटान की मांग कर रही है। अगस्त की शुरुआत में ही इस एनजीओ ने चेतावनी दी थी कि जहाज़ "खतरनाक तरीके से झुक रहा है और इसके पलटने का खतरा बढ़ रहा है"। समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक़ 20 अक्टूबर को PDVSA ने ICARO नामक एक टैंकर को बैरल के आधे हिस्से को ऑफलोड करने के लिए भेजा है लेकिन यह एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया है। उसी दिन, त्रिनिदाद और टोबैगो के ऊर्जा और उद्योग मंत्रालय ने भी स्थिति को जांचने के लिए एक विशेषज्ञ दल को टैंकर के पास भेजा। स्थिति इतनी संवेदनशील है कि फिशरमेन ऐंड फ्रेंड्स ऑफ द सी, बाकी दुनिया की तरह, आशंकित हो कर इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है।

स्काईट्रूथ से प्राप्त चित्रों और वैश्विक मीडिया में प्रसारित होने वाली रिपोर्टों से ऐसा प्रतीत होता है कि वेनेजुएला के एक तेल टैंकर, कढअफ्ड/आईसीएआरओ ने एफएसओ नाबारिमा से संपर्क किया है और भीतर कुछ तेल स्थानांतरित कर भी रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कैरिबियन सी का वो हिस्सा खतरे से बाहर है। फ़िलहाल हम राहत की सांस नहीं ले सकते क्योंकि इस प्रक्रिया में मिली जानकारी के मुताबिक़ किसी भी तरह के रिसाव को रोकने के लिए उपाय अपर्याप्त हैं।

किसी भी स्थिति से निपटने के लिये PDVSA के पास जहाज के चारों ओर आवश्यक रोकथाम उपकरण होने चाहिए। साथ ही PDVSA को स्पिल/रिसाव जैसी आपदा के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थिति ने 1989 के त्रिनिदाद और टोबैगो और वेनेज़ुएला के बीच हुए तेल रिसाव प्रबंधन योजना पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत को फिर उजागर किया है।

मौजूदा समझौते के बावजूद, जहाज़ का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को भेजने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में ही त्रिनिदाद और टोबैगो सरकार को एक महीने से अधिक समय लग गया। नियमों के चलते इतना समय लगना घातक सिद्ध हो सकता है। यही नहीं, इस समुद्रीय क्षेत्र पर तमाम देश निर्भर हैं और सभी को ऐसी किसी पर्यावरणीय आपदा से निपटने की तैयारी रखनी चाहिए। ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए क्षेत्रीय कार्ययोजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए सभी प्रभावित और सम्बंधित देशों को तत्काल मिलना चाहिए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का मंचन

रांची : संपूर्ण भारतीय रेल पर 27 अक्टूबर 2020 से 02 नवंबर 2020 तक विशेष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है । इसके अंतर्गत 28अक्टूबर को रांची रेल मंडल के राँची, मुरी एवं हटिया रेलवे स्टेशनों पर मंडल के सांस्कृतिक विभाग तथा भारत स्काउट एन्ड गाइड द्वारा यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन कर सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अभियान को सफल बनाने में भारत स्काउट एन्ड गाइड के सुदीप मंडल एवं सांस्कृतिक विभाग की श्रीमती माधवी का विशेष योगदान रहा।

वेटनरी अंडर ग्रेजुएट छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया

रांची :कुलसचिव डॉ नरेंद्र कुदादा ने बिरसा कृषि वि-श्वविद्यालय के रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत 2015-16 बैच के अंडर ग्रेजुएट छात्रों का रिजल्ट जारी कर दी है. बैचलर ऑफ़ वेटनरी साइंस के इस कोर्स प्रोग्राम में सभी 28 छात्र - छात्राओं को सफल घोषित किया गया है. जिनमें 14-14 छात्र - छात्राएँ शामिल हैं. ओजीपीए अंक के आधार पर निकिता सिंह ने प्रथम (8.631), सुधीर सिंह ने द्वितीय (8.254) तथा कस्तुरी लाली ने तृतीय (8.201) स्थान प्राप्त किया है. 10.0 ओजीपीए अंक आधारित इस परीक्षा में 3 छात्रों ने 8.0 ओजीपीए से अधिक तथा 13 छात्रों ने 7.0 से अधिक ओजीपीए अंक प्राप्त किया. सफल छात्रों में वेटनरी कौंसिल ऑफ़ इंडिया कोटे से अध्ययनरत राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं बिहार राज्य के 9 छात्र शामिल हैं।

झारखण्ड में धान की खड़ी फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर कीट का प्रकोप

- राज्य में 6-7 वर्षो से दस्तक दे रहा कीट
- सबसे पहले साहेबगंज एवं गोड्डा जिले देखा गया प्रकोप
- इस वर्ष दुमका के सरैयाहाट एवं गोड्डा के पोड़ैयाहाट में कीट का प्रभावी प्रकोप
- राज्य का दुमका, देवघर, गोड्डा व रामगढ जिले में दिखा असर
- संकर धान व अधिक उपज वाली किस्मों की खेती में नाइट्रोजन धारी उर्वरक (यूरिया) का अधिक प्रयोग मुख्य वजह
- धान रोपाई के समय से ही बचाव के उपाय की जरूरत
- ब्राउन प्लांट हॉपर कीट से धान फसल को 70-80 प्रतिशत तक क्षति की संभावना

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के कीट वैज्ञानिकों को राज्य के कई जिलों में धान की खड़ी फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के प्रकोप की शिकायत मिली है।राज्य के दुमका, देवघर, गोड्डा व रामगढ जिलों में इस कीट का प्रकोप देखे जाने की सूचना है। इस वर्ष कीट का दुमका के सरैयाहाट एवं गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड में प्रभावी प्रकोप देखा गया है।ब्राउन प्लांट हॉपर कीट को स्थानीय भाषा में भनभनिया बीमारी तथा बोलचाल में भूरा मधुआ कीट के नाम से जाना जाता है।एशिया महादेश सहित भारत में ब्राउन प्लांट हॉपर धान का महत्वपूर्ण हानिकारक कीट है।

बीएयू के मुख्य वैज्ञानिक सह अध्यक्ष (कीट) डॉ पीके सिंह ने इस सबंध में बताया कि प्रदेश में संकर किस्मों एवं अधिक उपज देने वाली धान किस्मों की खेती काफी प्रचलित हो चला हैं।धान इन प्रजाति की खेती में किसान रासायनिक उर्वरकों में खासकर नाइट्रोजन धारी (यूरिया)उर्वरक का अधिकाधिक उपयोग करते है।जो धान की खड़ी फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के प्रकोप की मुख्य वजह देखने है।इस कीट के आक्रमण से धान फसल को 70-80 प्रतिशत तक क्षति होने की संभावना होती हैं। इससे बचाव के लिए किसानों को रोपाई के समय से ही उपाय तथा जागरूक किया जाना जरूरी है। जिस किस्म में इसका आक्रमण दिखे, उस किस्म को उस खेत तथा आस-पास के खेतों में रोपाई नहीं करनी चाहिए।

बीएयू के धान फसल कीट विशेषज्ञ डॉ रविन्द्र प्रसाद बताते है कि इसका आक्रमण निचली एवं मध्यम भूमि वाले धान खेत में अधिक देखा जाता है।झारखण्ड में यह कीट विगत 6-7 वर्षो से दस्तक दे रहा है। इसका प्रकोप सबसे पहले साहेबगंज एवं गोड्डा जिले में देखा गया।

विगत वर्षो में इसका प्रकोप हजारीबाग के केरेडारी, रांची के बुंडू व इटकी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामु व जामताड़ा जिलों में देखा गया।इस कीट का प्रकोप धान की पत्तियों के नीचे तथा जड़ के ऊपर वाले तने में होता है। जहाँ सैकड़ो की संख्या में माइक्रो आकार आकृति वाले भूरे रंग के फूदके पौधों के तने पर असंख्य माइक्रो छेद बनाकर पौधे का रस चुसकर पौधे को कमजोर बना देते है। फलतः पौधे के डंठल सड़ जाते है और पौधा बौना हो जाता है। कीट से ग्रसित पौधे भूरे व पूआल के रंग के हो जाते है।इस कीट का आक्रमण धान के खेतों में गोलाकार आकृति का रूप ले लेता है। इससे बचाव के लिए किसानों को धान रोपाई के समय से ही विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है.खेतों में रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैविक उर्वरकों जैसे नीम खल्ली,करंज खल्ली, कम्पोस्ट व वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग करने से रासायनिक उर्वरकों विशेषकर नाइट्रोजन धारी उर्वरक के उपयोग में कमी लाई जा सकती है।धान की रोपाई में कतार से कतार एवं पौधों की दूरी बढ़ाकर कीट एवं रोग की रोकथाम संभव है। वैकल्पिक तरीके से खेतों को सुखाकर तथा सिंचित करना भी कारगर होगा।

प्रदेश के किसान पोटाश उर्वरक का उपयोग प्रायः नहीं करते है। पोटाश उर्वरक के प्रयोग से धान सहित सभी फसलों में कीट व रोग के प्रकोप को कम किया जा सकता है। धान की खड़ी फसल में रोपाई के 3 सप्ताह के बाद खेतों में 4-5 से.मी. स्थिर पानी रखते हुए फिप्रोनील नामक दानेदार कीटनाशी का 20-25 कि.ग्रा.प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर बिखेरकर रोकथाम की जा सकती है। इसके बावजूद कीट का प्रकोप दिखाई देने पर बूप्रोफेजिन 25 प्रतिशत एससी को 500-750 मि.ली.प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल में दो से तीन बार छिड़काव करना चाहिए।

जानकारी के अनुसार पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने संथाल परगना प्रमंडल के 3 जिलों दुमका, देवघर व गोड्डा में धान की खेती में भनभनिया बीमारी (ब्राउन प्लांट हॉपर) से हुई भारी नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने और तत्काल बचाव के उपाय के सबंध मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, कृषि सचिव एवं सबंधित उपयुक्त को तत्काल कारवाई करने को कहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने त्वरित कारवाई करते हुए गुरूवार को कृषि विभाग के पदाधिकारियों को किसानों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, ताकि किसानों को मुआवजा दी जा सकें।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण)कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020

विशेषताएं

- इस अधिनियम के नाम से स्पष्ट है कि यह कृषकों के सशक्तिकरण और संरक्षण हेतु सरकार द्वारा लाया गया है।
- भारत में कृषि करारों के आधार पर कांट्रैक्ट फार्मिंग होती आयी है परंतु इस व्यवस्था में एकरूपता नहीं थी और कृषकों के अधिकार के संरक्षण की व्यवस्था नहीं थी
- यह अधिनियम कृषकों को सशक्त कर थोक विक्रेताओं निर्यातकों तथा अन्य कारोबारी कंपनियों की बराबरी करने के लिये सक्षम बनाता है तथा पूरे देश में समान कानूनी व्यवस्था लागु करता है।
- कृषकों की आय में वृद्धि होने में दो बड़ी बाधायें हैं। पहली बाधा यह है कि जब फसल प्रचुर मात्रा में होती है तो भाव गिर जाते हैं, दूसरी बाधा यह है कि यदि किसान नये तरह के उत्पाद उगाना चाहता है तो उसे जानकारी एवं तकनीक का अभाव है और ऐसे उत्पादों हेतु सही बाजार मिलने में भी कठिनाई है।
- किसान जब परंपरागत फसलें उगाते रहेंगे तब तक उनकी आमदनी में अधिक बदलाव लाना कठिन है।
- इस अधिनियम के माध्यम से किसान अपनी उपज की बोआई से पहले ही अच्छी दाम पर उसे बेचने का लिखित करार कर सकेंगे। ऐसे करारों के माध्यम से नयी तकनीक की कृषि सेवायें भी ले पायेंगे।
- किसान को जहां मूल्य के उतार चढाव से मुक्ति मिलेगी वहीं वह उच्च कीमत की नयी फसलें उगा पायेगा। जिस हेतु उसे खरीददार नये किस्म के बीज, पौधे तथा उच्च तकनीक की सलाह देगा।
- किसान के उत्पाद पर मंडी फीस या अन्य कोई राज्य का कर नहीं लग पायेगा जिससे सीधी कीमत में लाभ किसान को होगा।
- करार के अंतर्गत खरीददार को व्यवसायी को उपज की डिलिवरी लेने पर तुरंत भुगतान करना होगा।
- किसान के पास यह विकल्प होगा कि वह ऐसे करार करें जिसमें उपज का मूल्य पूर्व से निर्धारित हो अथवा वह ऐसा करार भी कर सकता है जिसमें मूल्य का एक हिस्सा पूर्व निर्धारित गारंटिड हो और यदि बाजार में उपज की कीमत अधिक हो जाती है तो उसका हिस्सा भी उसे मिले।
- भारत का किसान अपने हित को समझता है। सभी किसानों को ऐसी कृषि उपज जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है पहले से पता होता है। करार के अंतर्गत जब किसान स्वेच्छा से मूल्य निर्धारित करेगा तो वह ना केवल समर्थन मूल्य से अधिक होगा बल्कि वह यह भी देखेगा कि उसकी आमदनी अन्य किसानों की तुलना में अधिक हो।
- इस अधिनियम में किसान की भूमि को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। भूमि के विक्रय लीज मोर्टगेज इत्यादी हेतु करार नहीं किया जा सकता। किसान के भूमि के उपर यदि कोई निर्माण हेाता है तो उसका मालिकाना हक किसान का ही होगा।
- किसान की शिकायत प्रथमतः समझौते के आधार पर समाधान हो सकेगी। यदि 30 दिन में समझौता नहीं हो पाता है तो स्थानीय एसडीएम के यहां समाधान होगा। इस समाधान की अधिकारिता उस एसडीएम की होगी जिसके कार्यक्षेत्र में किसान ने फसल उपजाई है।
- यदि किसान की उपज का भुगतान खरीदार व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाता है तो ना केवल वसूली होगी बल्कि डेढ सौ प्रतिशत का अर्थदंड भी लग सकेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि किसान को सौ रूपये लेने थे तो ढाई सौ रूपये की वसूली हो सकेगी।
- किसान की भूमि के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली की कार्रवाई नहीं हो सकती। यदि किसान करार के अनुसार अपनी फसल खरीददार व्यवसायी को नहीं देता है तो उसके विरूद्ध केवल आदानों की कीमत जो खरीददार व्यवसायी द्वारा प्रदान की गयी है अथवा उसके द्वारा कोई एडवांस दिया गया हो तो ही वसूली बिना ब्याज के हो पायेगी। उपज की कीमत के उतार चढाव से संबंधित कोई वसूली किसान से नहीं हो सकेगी।
- अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों के सशक्तिकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा सकेंगे। इस दिशा निर्देशों के अंतर्ग यह भी उल्लेखित है कि ऐसे कृषि करार किसान की स्थानीय भाषा में ही हो पायेंगे। उपज की गुणवत्ता और कीमत संबंधी सभी प्रावधान लिखित में होने आवश्यक हैं। जिससे कि किसान के साथ बाद में कोई धोखा न कर सके। उपज की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु बाह्य एजेंसी का प्रवाधान भी किया जा सकता है।
- कृषि सुधार के अधिनियमों के साथ ही भारत सरकार द्वारा एक लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गयी है। जहां एक तरफ किसान कानूनी संरक्षण प्राप्त करेगा वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निवेश से उसे व उसके बच्चों को रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होंगे।

संक्षेप में यह कहना सही होगा कि इस अधिनियम के आने से ना केवल किसानों को सुनिश्चित आमदनी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बल्कि वह स्वयं उद्यमी बनने में सक्षम होंगे। कृषि सेवाओं के करार अधिनियम में किसानों की स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया है। किसान से करार करने के बाद भी यदि उससे अग्रिम धनराशि अथवा कृषि आदान नहीं लिये गये हैं तो वह भी करार से बिना किसी पेनल्टी के बिना किसी देयता से अलग होने के लिये स्वतंत्र हो सकते हैं। यदि कोई अग्रिम धनराशि अथवा कृषि आदान किसान द्वारा प्राप्त किया गया है तो संबंधित धनराशि बिना ब्याज के क्रेता को वापस कर किसान को करार से अलग होने का प्रवधान है।वहीं दूसरी ओर करार के माध्यम से किसान संबंधित क्रेता से करार की शर्तों के अनुसार उपज का करार में निर्धारित मूल्य प्राप्त करने का अधिकार रखता है। जिसके लिये अधिनियम में किसान को संरक्षण प्राप्त है। अतः कृषि करार अधिनियम के माध्यम से विक्रय के नवीन विकल्प देता है और किसान को अधिकार देता है एवं स्वयं की स्वतंत्रता बरकरार रखता है।

सीएमपीडीआई में कोल इंडिया स्थापना दिवस मनाया गया

रांची :मिनी रत्न कम्पनी सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया स्थापना दिवस-2020 समारोह 01अक्टूबर को संस्थान के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने कोल इंडिया के झंडे को फहरा कर किया। समारोह की श-

कोल इंडिया स्तर पर सीएमपीडीआई को 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ

रूआत कॉरपोरेट गीत से हुई। इस मौके पर संस्थान के निदेशक (तकनीकी/ईएस) के0के0 मिश्रा, निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी) आर0एन0 झा, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0के0 गोमास्ता, क्षेत्रीय संस्थान-3 के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार, जेसीसी सदस्य, सीएमओएआई के प्रतिनिधि के अलावा सीएमपीडीआई परिवार के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर एस सरन ने कहा कि सीएमपीडीआई ने कोयलामंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसारगवेषण की गति बढ़ाने के लिए कोयलागवेषणमें 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण शुरू कर दियाहै। सीएमपीडीआई ने निविदा प्रक्रिया के जरिए कोलइंडिया लिमिटेड के कुछ चयनित खानों में विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए परीक्षण के आधारपरड्रोनप्रौद्योगिकी के कार्यान्वयनकाकार्य शुरू कर दिया है।

एस सरन ने कहा कि सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय के आरएंडडी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा कोल क्षेत्र में आरएंडडी प्रयासों के लिए अनुसंधान संस्थान एवं संगठनों को आकर्षित करने के लिए कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय गतिविधियों पर एक वेबसाइट का डिजाइन और विकास किया है। गैर-कोयला क्षेत्र के लिए गवेषण/खान प्लानिंग हेतु सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

सीसीएल मुख्यालय में 'राष्ट्रीय एकता दिवस'

रांची :31 अक्टूबर को सीसीएल दरभंगा हाउस, रांची सहित सभी क्षेत्रों में लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सीसीएल मुख्यालय रांची में सीएमडी, सीसीएल पी.एम. प्रसाद ने सभी कर्मियों को राष्ट्रीय एकता शपथदिलाई। उपस्थित सभी कर्मियों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित, सत्यनिष्ठा की शपथ ली। अपने संबोधन में पी.एम. प्रसाद ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वल्लभभाई पटेल के संदेशों को आत्मसात करना है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों से प्रेरणा लेते हुये राष्ट्र की एकता को निरंतर मजबूती बनाये रखना है।

अवसर विशेष पर सीएमडी सहित निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल, विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष एवं अन्य ने सरदार पटेल के चित्र पर श्रद्धासुमन के पुष्प अर्पित किए ।

बीएयू : पशु स्वास्थ्य शिविर सह टीकाकरण कार्यक्रम

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में फार्मर्स फर्स्ट नामक मेगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस परियोजना के अधीन रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के चिपरा एवं कुदलोंग गाँवों में पशु स्वास्थ्य शिविर सह टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। शिविर में कुल 623 बकरियों, गाय एवं बैलों का टीकाकरण तथा बीमारियों की जाँच की गयी ,बीमार पशुओं के स्वास्थ्य की जाँच, टीकाकरण, पीपीआर एवं एफएमडी (खुरहा-चपका) किया गया। पशुओं में दस्त, कृमि, निमोनिया एवं बाह्य परजीवी रोगों का इलाज किया गया।

टीकाकरण कार्यक्रम डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद के मार्गदर्शन में चला। पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों में डॉ परवीन कुमार व डॉ रविन्द्र कुमार तथा कॉलेज के पीजी छात्रों में डॉ राकेश, डॉ सुशील टुडू,डॉ राहुल कुमार एवं डॉ संजय दुबे ने सहयोग दिया। मौके पर पशु स्वास्थ्य विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद ने ग्रामीण पशुपालकों को पशु प्रबंधन से बेहतर आय की तकनीक, पशुओं की देखभाल तथा बेहतर स्वास्थ्य बनाये रखने सबंधी बातों से अवगत कराया गया। पशु औषधी वैज्ञानिक डॉ प्रवीण कुमार ने पशुओं में टीकाकरण एवं इससे लाभों की जानकारी दी। पशु चिकित्सा वैज्ञानिक डॉ रविन्द्र कुमार ने सूकर, बकरी एवं मुर्गी पालन प्रबंधन की समस्यायों से अवगत कराया। फार्मर्स फर्स्ट प्रोग्राम के परियोजना अन्वेषक डॉ निभा बाड़ा नेकृषि में पशुपालन का महत्व की जानकारी दी। बेहतर आजीविका के लिए किसानों को पशुपालन से जुड़े रहने को कहा।

संचालन अलोका बागे ने किया। कार्यक्रम के आयोजन में निर्मल कुमार, प्रवीण तरुण एक्का, आकाश, संजय एवं बसंत का विशेष योगदान रहा।

बिहार चुनाव :आश्चर्य इस बार घोषणपत्र में *प्रदूषण* भी एक मुद्दा है

एजेंसियां

बिहार में कभी भी पर्यावरण और प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं रहा लेकिन संभवतः पहली बार वायु प्रदूषण के मुद्दे को भी चुनावी घोषणा पत्र में जगह मिली है। वायु प्रदूषण इन दिनों दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि निम्न आय वर्ग वाले राज्यों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। शायद यही वजह है कि वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए चुनावी घोषणापत्रों में उसे जगह दी गई है।

वायु प्रदूषण के मुद्दे पर जहां जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने सात सूत्री घोषणापत्र में स्पष्ट और प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं कहा है। वहीं, सबसे स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और फिर दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी योजनाओं का जिक्र चुनावी घोषणापत्र में किया है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने 20 पृष्ठ वाले अपने चुनावी घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिबद्धताओं में क्लीन एयर को लेकर एक पन्ना रखा है। इसमें आरजेडी ने कहा है कि बिहार में क्लीन एयर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, प्रमुख शहरों में क्लीन एयर प्रोग्राम भी बनेगा। वायु गुणवत्ता की निगरानी पर भी जोर होगा। रीयल टाइम मॉनिटरिंग एयर स्टेशन भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्थायी परिवहन व्यवस्था के लिए डीजल वाहनों को सीएनजी और इलेक्ट्रिकल वाहनों में तब्दील किय जाएगा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की बात कही गई है।

जबकि कोरोना के लिए फ्री टीके का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 5 सूत्र, एक लक्ष्य और 11 संकल्प वाले अपने 12 पृष्ठ के चुनावी घोषणापत्र में यूएनओ के बहाने वाहनों से होने वाले प्रदूषण के प्रति चिंता दिखाई है और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को ठीक करने का वादा किया है। इसके लिए सभी प्रमंडलों में अंतरर्राज्यीय बस टर्मिनल

का निर्माण करने का वादा किया गया है। कचरे के प्रबंधन पर भी विशेष जोर की बात कही गई है।

जनता दल यूनाइटेड ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण की बात कही है। हालांकि सीधे-सीधे वायु प्रदूषण को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। न ही सार्वजनिक परिवहन की आगे की योजना को लेकर कोई बात कही गई है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वायु प्रदूषण को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। हां, पटना में मेट्रो परियोजना और स्मार्ट व इंटरसिटी बसों के संचालन का वादा किया है। इसके अलावा कचरा संकलन एवं निष्पादन का भी वादा किया गया है। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर वेस्ट बर्निंग मुद्दे को शामिल किया गया है।

कृषि, बटाईदारी, जमीन का मालिकाना, भूमिहीन किसानों जैसे मुद्दों पर जोर देने वाले भाकपा माले और भाकपा (एम) के घोषणापत्रों में भी वायु प्रदूषण और परिवहनों की योजनाओं को लेकर खामोशी है।

लोक जनशक्ति पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट-2020 में भी वायु प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन को लेकर कोई बात नहीं की गई है।

बिहार के उत्तरी हिस्से में बाढ़ की समस्या है तो दक्षिणी हिस्से में सूखे की समस्या है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस लाइन को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में दोहराया है। लेकिन इसके समाधान का रास्ता क्या होगा? इस बारे में कुछ भी बताने से बचा गया है। मौजूदा सराकर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी तालाबों के अतिक्रमण मुक्त करने का ऐलान किया था लेकिन यह सिर्फ ऐलान ही रह गया।

जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने 7 निश्चय वाले चुनावी मैनिफेस्टो में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहले से ही चल रहे जल-जीवन-हरियाली अभियान के कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करने का वादा किया है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में जल प्रबंधन और पौधरोपण प्रमुख कार्यक्रम हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन अभी तक ठोस रुप से हुआ नहीं हैं। बहरहाल घोषणापत्र में कहा गया है कि हर घर तक नल का जल और पक्की नालियों की देखभाल की जाएगी। इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल और जल-मल ट्रीटमेंट की व्यवस्था का वादा भी किया गया है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपने 20 पेज के चुनावी घोषणा पत्र में एक पन्ना जलवायु परिवर्तन से सबंधिति प्रतिबद्धताओं के लिए रखा है। इस पन्ने में सौर ऊर्जा पर अच्छा खासा जोर दिया गया है। खासतौर से खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जा से लैस करने की बात कही गई है। वहीं, एक विशिष्ट जल नीति बनाने की बात कही गई है जिसमें पारंपरिक जल स्रोतों जैसे तालाब, अहर-पईन आदि के पुनरुद्धार की बात कही गई है। वहीं, पेयजल संकट का समाधान और जल प्रदूषण पर रोकथाम के लिए जोर दिया जाएगा।

भाकपा (एम) ने अपने मैनिफेस्टो में बाढ़ को सरकारी लूट का जरिया बताती है लेकिन उनके पास बाढ़ से बचाव की क्या नीति है और उनकी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त जल कहां से और कैसे पहुंचाएंगे। इसे नहीं बताते हैं। बल्कि बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी निदान कहकर बात को खत्म करते हैं। इनके मैनिफेस्टो में कृषि संकट के कॉलम में गांवों में होने वाले जलभराव का जिक्र जरूर है लेकिन शहरी जलभराव की व्यवस्था को दुरुस्त करने का कोई आश्वासन नहीं दिखाई देता। भाकपा-माले ने लिखा है शहरों का लोकतांत्रिकरण होगा लेकिन इस समस्या या इसके समाधान का जिक्र नहीं किया है। हां, यह जरूरी है कि जनसुविधाओं के कॉलम में सिर्फ आपदा प्रबंधन की बात कही गई है।

कांग्रेस ने लिखा है बिहार के सभी शहरों का मास्टर प्लानिंग का रिव्यू किया जाएगा और तय समयसीमा में क्रियान्वयन कराया जाएगा। इसमें जलभराव की समस्या का न तो जिक्र है और न ही कोई समाधान की बात। हालांकि, सभी को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति और अधिकार की बात पर जोर दिया गया है।

साभार डीटीइ

फोटो न्यूज

झारखण्ड में जलवायु परिवर्तन

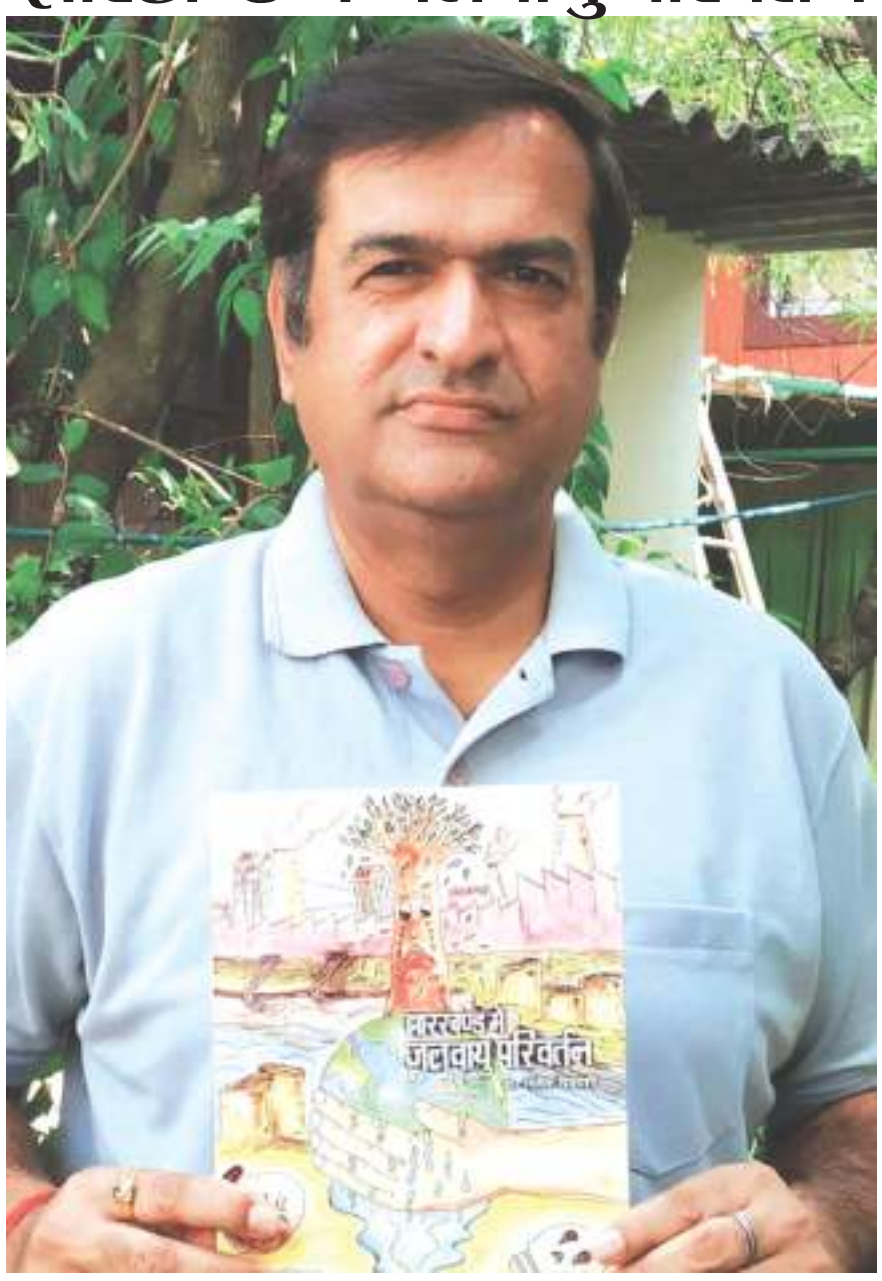

My book on climate change in Jharkhand state of India.

मेरी ये किताब बिन्द्राई इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च स्टडी एंड एक्शन (बिरसा) रांची के सहयोग से प्रकाशित हुई। कई सालों के शोध के निष्कर्ष को मैंने इस पुस्तक में उल्लेख किया हूँ। किताब में झारखण्ड में प्राचीन काल से लेके अभी तक के जलवायु परिवर्तन और भारत की प्राचीन सभ्यताओं पर जलवायु के योगदान का भी उल्लेख है । आने वाले पृथ्वी पर महाविनाश से लेके झारखण्ड में बढ़ते प्रदुषण का भी इस पुस्तक में वर्णन है।

डॉ. नितिश प्रियदर्शी

जानवरों में पाए जाने वाले 8.5 लाख वायरस कर सकते हैं मानवों को संक्रमित: रिपोर्ट

दयानिधि

संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में महामारियां और अधिक बार आएंगी। इन महामारियों से और अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को कोरोनावायरस के मुकाबले और अधिक नुकसान पहुंचाएंगे।

चेतावनी दी गई कि 540,000 से लेकर 850,000 तक ऐसे वायरस हैं, जो नोवल कोरोनवायरस की तरह जानवरों में मौजूद हैं और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। यह महामारियां मानवता के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। जैव विविधता और महामारी पर विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि जानवरों के रहने के आवासों की तबाही और जरूरत से ज्यादा खपत से भविष्य में पशु-जनित रोगों के और अधिक बढ़ने के आसार हैं।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति मंच (आईपीबीईएस) कार्यशाला के अध्यक्ष पीटर दासजक ने कहा कि को-विड-19 महामारी या कोई भी आधुनिक महामारी के पीछे कोई बड़ा रहस्य नहीं है। वही मानव गतिविधियां जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता

की हानि होती है, हमारे कृषि पर भी इनके प्रभावों से महामारी के खतरों को बढ़ाती हैं। पैनल ने कहा कि 1918 के इन्फ्लूएंजा के प्रकोप के बाद कोविड-19 छठी महामारी है, जिसके लिए पूरी तरह से मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। इनमें वनों की कटाई, कृषि विस्तार, जंगली जानवरों का व्यापार और खपत के माध्यम से पर्यावरण का निरंतर शोषण शामिल है। ये सभी लोगों को जंगली और खेती में उपयोग होने वाले जानवरों के साथ संपर्क में रखते हैं और बीमारियों को शरण देते हैं। उभरती बीमारियों के 70 फीसदी जैसे कि- इबोला, जीका और एचआईवी / एड्स, मूल रूप से जूनोटिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे मनुष्यों में फैलने से पहले जानवरों में फैलते हैं। पैनल ने चेतावनी देते हुए बताया कि हर पांच साल में इंसानों में लगभग पांच नई बीमारियां फैलती हैं, जिनमें से किसी एक की महामारी बनने के आसार होते हैं।

कोविड-19 महामारी के लिए अब तक लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर से 16 ट्रिलियन डॉलर तक की कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें 5.8 ट्रिलियन से 8.8 ट्रिलियन डॉलर 3 से 6 महीने की सामाजिक दूरी और यात्रा प्रतिबंध की वजह से नुकसान हुआ (जो कि वैश्विक जीडीपी का 6.4 से 9.7 फीसदी है)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत ''लाईव पेटिंग वर्कशॉप'' का आयोजन

रांचीः सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस, रांची के प्रागंण में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के अंतर्गत ''लाईव पेटिंग वर्कशॉप' का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने कैनवास पर चित्र बना कर किया। साथ ही निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, सीवीओ ए.के. सिन्हा ने भी कैनवास पर रचनात्मक चित्र बनाकर प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर महाप्रबंधक (सतर्कता) ए.के. सिंह सहित विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारीगण सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे।

त्र्यंबकेश्वर नदी के प्रदूषण पर रोक लगाने में विफल रहा है एमपीसीबी : एनजीटी

एजेंसियां

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे जिला नासिक के त्र्यंबकेश्वर में अनुपचारित सीवेज को बहाने के मामले में कार्रवाई करें। अदालत ने 28 अक्टूबर, 2020 को पारित एक आदेश में कहा कि राज्य के दोषी अधिकारियों के खिलाफ उपचारात्मक कार्रवाई की जाए और 23 फ-रवरी, 2021 से पहले कार्रवाई के अनुपालन में एक हलफनामा दाखिल किया जाए।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने 26 दिसंबर, 2019 को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद की विफलता के कारण प्रदूषण हो रहा है। एमपीसीबी ने 27 अक्टूबर को एक अन्य रिपोर्ट के माध्यम से एनजीटी को बताया कि 1 एमएलडी की क्षमता वाले मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की अस्थायी तौर पर बिजली बाधित होने के कारण संचान नहीं हो पाया, एसटीपी के संचालन के लिए बिजली की कोई बैकअप सुविधा नहीं हैं। एसटीपी के प्रवेश-मार्ग (इनलेट) पर प्रवाह के बारे में पता लगाने के लिए कोई फ्लो मीटर नहीं लगाया गया था और एसटीपी के प्रवेश-मार्ग से बेकार पानी को बहते हुए देखा गया, जो सीधे गोदावरी नदी में मिल रहा था। इसी तरह, त्र्यंबक नगर परिषद सीधे गोदावरी नदी में दो अन्य नालों - नीलगंगा नाला और म्हारारोड नाले के माध्यम से सीवेज का निर्वहन कर रहा है। एमपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नालों पर इन-सीटू उपचार जैसे कि फाइटोरामेडियेशन या बायोरेमेडिएशन नहीं लगाए गए हैं।

एनजीटी ने एमपीसीबी की रिपोर्ट में बताई गई कमियों पर नाखुशी जाहिर की। एनजीटी ने कहा कि नगर परिषद बार-बार कह रहा है कि वे डीपीआर तैयार करने के लिए कुछ सलाहकारों के साथ बैठकें करेंगे लेकिन यह कहकर वे इस तरह कानून के निरंतर उल्लंघनों को सही नहीं ठहरा सकते हैं। इसके अलावा राज्य पीसीबी 'पोलुटर पे (प्रदूषण फैलाने वाले भुगतान करें) सिद्धांत पर रिकवरी मुआवजे और अन्य ठोस कदम उठाने के संबंध में अपने कर्तव्य में विफल रहा है। नागरिकों की धरपकड़ के लिए कानून उल्लंघनकर्ताओं की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने में राज्य प्रशासन भी विफल रहा है।

कोनोथुपुझा नदी में अतिक्रमण और प्रदूषण पर ग्राम पंचायत ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट

एजेंसियां : अम्बालाउर ग्राम पंचायत ने केरल के एर्नाकुलम जिले में नादामा, मनकुन्नम गांवों, कन्ननूर तालुक से होकर बहने वाली कोनोथुपुझा नदी के अवैध अतिक्रमण और प्रदूषण पर एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट एनजीटी द्वारा 24 जनवरी को पारित अंतरिम आदेश के जवाब में थी। केरल सरकार ने एक संयुक्त समिति का गठन किया और कोनोथुपुझा नदी के प्रदूषण को रोकने और नदी को पहले जैसा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए इसे समिति को सौंपा गया था। समिति की एक बैठक 15 जून को जिला कलेक्टर के साथ की गई थी, जिसमें कलेक्टर ने अध्यक्ष के रूप में भाग लिया था, निर्णय लिया गया कि कोनोथुपुझा नदी की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं की सहायता ली जानी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सर्वेक्षण का शुरू होना इस बात पर निर्भर करेगा कि, सर्वेक्षण करने के

लिए स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाएं खर्च होने वाली राशि को कब जमा करेंगी। तदनुसार सर्वेक्षण के उप निदेशक ने खर्च होने वाली राशि का आकलन किया और अम्बालाउर ग्राम पंचायत ने 11 अगस्त, 2020 को सर्वेक्षण विभाग को अपनी सीमा के भीतर, कोनोथुपुझा नदी की सीमा का सर्वेक्षण करने के लिए आयोजित राशि को स्थानांतरित कर दिया। सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को पूरा करने पर, यदि पुरमपोक भूमि में अतिक्रमण पाया जाता है तो, केरल भूमि संरक्षण अधिनियम, 1957 के अनुसार, उसे बेदखल कर दिया जाएगा। इन उपायों के समानांतर, कोनोथुपुझा नदी से कचरे को हटाने के लिए लघु सिंचाई विभाग द्वारा कदम उठाए गए हैं।

कोरोना रोकथाम वाली योजनाओं में पर्यावरण बचाने में फेल हुये कई राष्ट्र

रटगर्स की अगुवाई वाले पेपर के अनुसार, कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव डाला है। दुनिया भर में कई सरकारें अब सामान्य होने के लिए रिकवरी पैकेज का ऐलान कर रही हैं। साथ ही यह दशकों पहले पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों को हुए नुकसान को भी उबारने का समय है। लेकिन देखा गया है कि अधिकांश देश प्रकृति संबंधी सुधारों के लिए धन खर्च करने से बच रहे हैं।

अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया सहित कुछ देश मौजूदा कानूनों और नियमों को लागू करने में ढील दे रहे हैं, जिनका उ-द्देश्य प्रकृति की रक्षा करना है। पामेला मैकलेवे, रटगर्स विश्वविद्यालय-न्यू ब्रंस-विक में पर्यावरण और जीव विज्ञान, मानव पारिस्थितिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

संयुक्त राष्ट्र में पिछले हफ्ते, 60 से अधिक प्रमुखों ने वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में चर्चा की और जैव विविधता संकट से निपटने के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया। मैकलेवे ने कहा- लेकिन जब हम देखते हैं कि देश क्या कर रहे है उनके पूर्व के बजट और नीतियों को देखते हुए, विशेष रूप से उनके कोविड रिकवरी योजना के बाद, पाया गया कि बहुत कम सरकारें अपना पैसा जैव विविधता को बचाने में लगा रही हैं। उन्होंने कहा अभी भी प्रकृति और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता दी जा रही हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन उत्पादन या बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए सब्सिडी देना आदि, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। केवल कुछ ही देश हैं जो गंभीर तरीके से जैव विविधता संकट को उबारने में लगे हुए हैं। तीन महाद्वीपों के कई संस्थानों के अर्थशास्त्रियों, मानवविज्ञानी और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने वन अर्थ नामक पत्रिका में एक पेपर प्रकाशित किया है। इस पेपर में दुनिया भर में आर्थिक प्रणालियों में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताया गया है। परिवर्तन जिसमें प्रोत्साहन, नियम, राजकोषीय नीति और रोजगार कार्यक्रम शामिल हैं। जो कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचा पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल न होने और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का समर्थन करते हैं।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट 2019- इंटरगवर्नमेंटल साइंस पालिसी प्लेटफार्म आन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (आईपीबीईएस) के अनुसार कार्रवाई न होने के कारण आज लगभग 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, कई दशकों के बाद प्रजातियों के विलुप्त होने की वैश्विक दर में यह तेजी देखी गई है।

इस नए पेपर में कहा गया है कि सरकारों को अपने कार्यो और रिकवरी योजनाओं में प्रकृति को प्राथमिकता देनी चाहिए। तत्काल रोजगार देने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक परिवर्तन हो सकता है। उ दाहरण के लिए हानिकारक जीवाश्म ईंधन को दी जाने वाली सब्सिडी को हटाकर अन्य को देना, जिनमें पर्यावरण के अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करना, कार्बन टैक्स जो वन संरक्षण कार्यक्रमों को मदद कर सकते हैं और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो पारिस्थितिक बहाली और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हों। जबकि कई वैज्ञानिकों और राजनेताओं ने कोविड-19 रिकवरी के तहत केवल कार्बन को कम करने का बढ़ावा दिया है। लेकिन आर्थिक योजनाओं में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे शामिल किया जाए, इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। प्रकृति से संबंधित कार्यों की चर्चा ने बड़े पैमाने पर वन्यजीव जिन्हें बाजारों में बेचा जाता था, उनको नए वायरस के स्रोत। होने की आशंका में बंद करने, संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों का विस्तार करने या उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

बासमति के जीआई टैग के लिये पाकिस्तान भी प्रयासरत

एजेंसियां

भारत के साथ बासमती चावल की लड़ाई का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ दशक पहले किसी अमेरिकी कंपनी ने इस पर अधिकार जताया था और उसने टेक्समति आर कासमति नाम से इसे पेटेंट भी कराया था पर भारत के विरोध और केस करने पर वह कंपनी हार गयी थी।

बासमती चावल की खुशबू पूरी दुनिया में महकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बासमती निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जहां 65 फीसदी है वहीं पाकिस्तान की हिस्सेदारी 35 फीसदी है। एक ओर भारत में अपने ही राज्यों के बीच ही बासमती के जीआई टैग की लड़ाई जारी है तो वहीं दूसरी ओर बासमती जीआई टैग की लड़ाई में भारत की ओर से ईयू में दिए गए एक्सक्लुजिविटी के आवेदन के खिलाफ पाकिस्तान ने आवाज उठाने का मन बनाया है। अंतरराष्ट्रीय फोरम पर इस दावे में जीत किसकी हो सकती है, यह निर्भर करेगा कि कौन अपने पक्ष में कितनी मजबूत चीज पेश करता है। बासमती का डीएनए टेस्ट ऐसा ही एक बड़ा और कारगर उपाय है जो भारत की दावेदारी को और मजबूती दे सकता है।

जियोग्रिफकल इंडिकेशन (जीआई) का मतलब है कि संबंधित वस्तु या उत्पाद उस भौगोलिक विशेष पर बना या उपजा है। साथ ही वहां की भौगोलिक जलवायु ने उस वस्तु या उत्पाद को बेहतर और खास बनाया है।

पाकिस्तान से जब भारतीय जानकारों ने इस मामले में बातें करनी चाहीं तो उन्होंने इसे संवदेनशील मुद्दा बता ज्यादा कुछ बोलने से मना कर दिया। पाक भले ही जीआई टैग को संवेदनशील कह कर बचने की कोशिश कर रहा हो लेकिन जब पंजाब के फगवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री, सोम प्रकाश से पूछा गया तो उन्होंने भी बेहद अजीब जवाब दिया और कहा "भारत-पाकिस्तान जीआई मुद्दे को लेकर उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है।

जीआई टैग मामले को लेकर पाकिस्तान के पास ईयू जाने के लिए नवंबर तक का समय है और बासमती के जीआई टैग के लिए प्रभावी तैयारियां भी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन भारत बासमती की पहचान को लेकर अपने डीएनए टेस्टिंग प्रोजेक्ट में काफी समय से काम कर रहा है।

प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रवीण राव वेल्चेला ने बताया कि भारत के पास जीआई के लिए डीएनए पहचान जैसा मजबूत आधार है। डीएनए आधारित विधि (फिंगरप्रिंट और आजकल जीनोम विश्लेषण) एक शक्तिशाली टूल है जिससे भारत बासमती जीआई टैग का अपना पक्ष वैज्ञानिकता के साथ मजबूती से रख सकता है। भारत में सीडीएफडी हैदराबाद में कुछ समय पहले प्रोफेसर ईए सिद्दीक के समय बासमती चावल को लेकर एक किट विकसित हुई थी। इसी तरह से आईएआरआई वैज्ञानिक भी डीएनए विश्लेषण पर काम कर रहे हैं।

वहीं भारत के भीतर लगातार मध्य प्रदेश बासमती के जीआई टैग की मांग कर रहा है जबकि इस मांग की पंजाब और हरियाणा के किसान खिलाफत कर रहे हैं। पंजाब के किसानों का तर्क है कि जीआई टैग यदि एक ऐसे राज्य को मिल गया जिसको वैज्ञानिक तौर पर नहीं मिलना चाहिए तो फिर कई राज्य कल जीआई आवेदन के लिए खड़े हो जाएंगे। पंजाब के एक कृषि नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश के जीआई टैग के लिए जो समिति बनाई है वह बिल्कुल ही गलत है, मिट्टी को सोना नहीं कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश को जीआई टैग नहीं दिया जाना चाहिए। इससे बासमती की वैल्यू घट सकती है। एक्सपोर्ट से जो वैल्यू आती है वह भी खत्म हो जाएगी।

इसके अलावा जलवायु का भी बासमती चावल पर बेहद ही खास असर है। इस मामले में वैज्ञानिक डॉ कृष्णा मूर्ति का कहना है कि बासमती के लिए सबसे बड़ी चीज है उसकी खुशबू। इसके साथ ही बासमती चावल की लंबाई और पकने के बाद बढ़ने वाली लंबाई भी मायने रखती है। लेकिन चावल में आने वाली खुशबू दरअसल जलवायु पर निर्भर है। मिसाल के तौर पर सीएसआर 30 जो कि 155 दिन में तैयार होती है, उसे जल्दी काट लिया जाए तो उसमें से सुगंध खत्म हो जाएगी।

भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत सात राज्यों को जीआई टैग इसी लिए दिया गया है कि यहां की जलवायु के साथ बासमती चावल की खुशबू काफी विकसित होती है और वह अपनी आदर्श अवस्था में होता है। मध्य प्रदेश या किसी दूसरे राज्य में ऐसा जलवायु नहीं है, वहां बासमती के गुणों में कमी आ सकती है और इससे ब्रांडिंग में काफी असर पड़ेगा। फिर कितने और राज्य जीआई टैग की मांग करेंगे उसे भी संभालना मुश्किल होगा।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।